राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू

फोन : 01562-250943 Email :- sjechuru@yahoo.com

क्रमांकःसान्याअवि / लेखा / 2021—22 / 8588 दिनांकः 3-11-2021

ई—बोली सूचना संख्या 01 / 2021—22

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय के पत्रांक एफ 7 (2)(9) / रा.छा. / खा.सा. / सान्याअवि / 20—21 / 8258 जयपुर दिनांक 13.08.2021 की अनुपालना में विभाग द्वारा जिला स्तर पर संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियो हेतु खाद्य सामग्री एंव अन्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियमों के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए दर संविदा आमंत्रित की जाती है।

बोली फॉर्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in से निम्न विवरण में अंकित अनुसार अवधि में बोली प्रपत्र प्राप्त कर जमा कराये जा सकते है। निर्धारित तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस में उसी समय पर तकनीकी बिड खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये किसी भी बोली अथवा मांग को निरस्त करने का अधिकार होगा। बोली की लागत कम व अधिक की जा सकती है। ऑनलाईन बिड करते समय संवेदक यदि किसी तकनीकी खांमी अथवा सरर्व की व्यस्तता के कारण बिड नहीं कर पाता है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्त परिस्थितियों से बचने के लिए संवेदक को सुझाव दिये जाते है कि वे बिड करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करें।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	बोली शुल्क राशि	RISL शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं (दर अनुबंध)	71 लाख रूपये	Affidavit Stamp of Rs 50/- as per F.D. order no. F2(1)वित्त/GST-SPFC/2017 जयपुर दिनांक 23-12-2020	1500 रूपये	1000 रूपये	03.11.2021 समय 5:00 PM से 15.11.2021 समय 8:00 AM	15.11.2021 9:00 AM	17.11.2021 12.00 PM

बोली की महत्वपूर्ण शर्ते निम्मनानुसार हैः—

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली में भाग लेने वाले संवेदकों को बोली को इलेक्ट्रोनीक फॉरमेट में वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. बोली फॉर्म वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से प्रपत्रों में अंकित तिथि तक डाउनलोड किये जा सकते है।
3. ऑनलाईन बोली इच्छुक संवेदकों द्वारा प्रपत्रों में अंकित तिथि तक जमा कराये जा सकते है।
4. वेबसाईट पर तकनीकी बिड दिनांक 17.11.2021 समय 12:00PM को इस कार्यालय में खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस को उसी समय पर तकनीकी बिड खोली जायेगी।
5. बोली जमा करवाने के बाद बोली की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
6. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी बोलियां नहीं खोली जा सकती है तो उसके कार्य दिवस को शेष बोलियां खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
7. तकनीकी आंकलन में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बिड को खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना बोलीदाताओं को दी जायेगी।

8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू कार्यालय मे संवेदक द्वारा बोली प्रपत्रों में अंकित तिथि एवं समय तक किसी कार्य दिवस में बोली प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्रों बोलिकर्ताओं के लिए योग्यता सूचना तथा बोलिकर्ता की पात्रता, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
9. (क) बोली प्रपत्र के साथ उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई बोली प्रपत्र शुल्क विभागीय राजस्व मद 0075–00–800–52–01 तथा RISL शुल्क मद 8658–00–102–16–01 मे राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ6(5) वित/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाईन ई–ग्रास के द्वारा संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के पक्ष में जमा करानी होगी। बोली शुल्क केवल कोई राशि/डी.डी स्वीकार नहीं की जायेगी।
(ख) बोलीदाता द्वारा बोली धरोहर राशि के संबंध में राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक एफ2(1)वित/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 अनुसार धरोहर राशि के संबंध में 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त आदेशानुसार घोषणा पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना होगा।
10. प्रदत्त दरें बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक बोली स्वीकृत हेतु मान्य रहेगी यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगें।
12. बोलिदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनीक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें।
13. इलेक्ट्रोनीक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
14. समस्त बोलीदाता बोली के समस्त प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
15. ऑनलाईन बोली भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया मे उत्पन किसी भी प्रकार की बाधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
16. उपरोक्त बोली में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान तथा नियम (बोली डालने की दिनांक तक संशोधन यदि कोई हो तो) लागु होगें। अतः बोलीदाता वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in , finance.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सभी प्रावधानों एवं नियमों को अध्ययन कर लेवें।

(नरेश चन्द्र बारोठिया)
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
चूरू

क्रमांकः–एफ/निविदा/सान्याअवि/ 8589-96 दिनांक 3-11-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् निदेशक निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान–जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय परिसर राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
3. प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को वास्ते, विभागीय वेब–साईट पर ऑनलाईन करने हेतु।
4. सूचना सहायक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग–हाजा को अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट /उपखण्ड मुख्यालय/हाजा।

सहायक निदेशक